11.5.18	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जो शामिल मिसल रहे। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु कैम्प कोर्ट पोसाना में दिनांक 18.6.18 को पेश हो।
18.6.18	पत्रावली आज कैम्प कोर्ट पोसाना में पेश हुई। रिपोर्ट नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी के अनुसार ग्राम बासड़ी के भूमि ख० नं० 454 प्रार्थी की कृषि भूमि में आने जाने के लिए भूमि ख०नं० 452 की दक्षिण पश्चिम सीमा के सहारे-सहारे के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। खसरा नं 452 में कलेमशुदा रास्ते की लम्बाई 83 मीटर एवं चौड़ाई 4 मीटर के अनुसार कुल क्षेत्रफल 332 वर्गमीटर बनता है। ग्राम बासड़ी में स्थित सीसी सड़क से दक्षिण दिशा में आवेदक का खेत पड़ता है जिसमें जाने आने के लिए अप्रार्थी के खेत ख.नं. 452 की पश्चिमी सीमा के सहारे-2 सबसे निकटतम दूरी का रास्ता यही है। जिसको संलग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही से बिन्दु A से B दर्शाया गया है। मौके पर कलेमशुदा रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी की कृषि कृषि भूमि में रास्ता नहीं होने के कारण रास्ते की आवश्यकता है तथा प्रार्थी रास्ते में समायोजित होने वाली भूमि का न्यायालय के आदेशानुसार पालना करने हेतु तैयार है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी की रिपोर्ट दिनांक 25.9.15 का भी अवलोकन किया गया। ग्राम बासड़ी स्थित प्रार्थी की कृषि भूमि ख.नं. 454 में जाने आने के लिए अप्रार्थी के भूमि ख.नं. 452 की दक्षिण पश्चिम सीमा के सहारे-2 कलेमशुदा रास्ते के अलावा मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। उक्त विवेचन से प्रार्थी का प्रा.पत्र साबित होने से स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है। **आदेश** प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ब.धारा 251(क) रा.का.अ. साबित होने से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बासड़ी की सरहद में स्थित प्रार्थी की कृषि भूमि ख.नं. 454 से जाने आने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि ख.नं. 452 की दक्षिण पश्चिम सीमा

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Scanned by CamScanner